न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 08/2016 अपील नामा0

उनवान

1. श्री रतन मुतबन्ना रामलाल उर्फ रंगलाल कुमावत निवासी बड़ला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा —–अपीलार्थी	**बनाम**	1.श्री रामजस पिता हजारी कुमावत 2.मु0 कंचन पत्नि पप्पूलाल कुमावत 3.श्री रमेश पिता रामजस कुमावत निवासियान बड़ला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा **—–प्रत्यर्थीगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार, फूलियाकलां बमामले नामान्तरकरण संख्या 629,निर्णय दिनांक 11.01.2016

उपस्थितः– श्री रमेश चेचाणी अधि0, अपीलार्थी की ओर से
श्री कुणाल ओझा अधि0 प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 23/03/2017

अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रथम अपील रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार, फूलियाकलां बमामले नामान्तरकरण संख्या 629 निर्णय दिनांक 11.01.2016 के खिलाफ प्रस्तुत की गई। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स के परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः–

मूल खातेदार हजारी था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। मृतक हजारी की बेवा मं0 मांगी है। पुत्र श्री रामजस रेस्पोडेन्ट नं0 1, श्री रामलाल उर्फ रंगलाल व श्री प्रहलाद दोनों की मृत्यु हो चुकी है। पुत्री मं0 अनोपी है। मृतक हजारी के बडे पुत्र श्री रामजस के पुत्र रमेश, रतन(गोद दिया), पप्पू है व मु0 पुत्री चन्ता है। मृतक हजारी के दूसरे पुत्र श्री रामलाल उर्फ रंगलाल की मृत्यु हो चुकी है मृतक की बेवा मु0 रोड़ी की भी मृत्यु हो चुकी है। मृतक श्री रामलाल व मु0 रोड़ी ने अपने जीवनकाल में अपीलान्ट को बचपन में गोद लिया। अपीलान्ट के माता पिता ने राजीखुशी से अपीलान्ट को श्री रामलाल उर्फ रंगलाल के गोद में बिठाकर जाति समाज के रीति रिवाज अनुसार गोद दिया। उक्त गोदनामें की ताईद में दिनांक 12.10.2009 को श्री रामलाल उर्फ रंगलाल ने अपीलान्ट को गोद लेने हेतु गोदनामा लिखाकर रजिस्ट्री करा दी। उक्त रजिस्टर्ड गोदनामें पर रेस्पोडेन्ट नं0 01 के हस्ताक्षर है। मृतक हजारी के तीसरे पुत्र श्री प्रहलाद की भी मृत्यु हो चुकी है। मृतक प्रहलाद के पत्नि मु0 बरजी व पुत्री मु0 घीसी है। रेस्पोडेन्ट नं0 01 के तीसरे पुत्र श्री पप्पूलाल की पत्नि मु0 कंचनदेवी रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

सं0 2 व रेस्पोडेन्ट सं0 1 का सबसे बडा पुत्र रमेश रेस्पोडेन्ट सं0 03 है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने बनावटी व फर्जी तरीके से बिकावनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में करवाये जाने के कारण इनको पक्षकार बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलान्ट को उसके हक व अधिकारों से महरूम रखने के लिए यह बनावटी बिकाव पत्र तैयार किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 श्री रामलाल उर्फ रंगलाल व श्री प्रहलाद अपने जीवनकाल तक संयुक्त परिवार के रूप में साथ साथ रहे हैं। रेस्पाडेन्ट संख्या 01 सबसे बडा होने के कारण संयुक्त परिवार की आराजीयात व अन्य तरीकों से होने वाली आय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पास रहती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने उक्त आय से श्री हीरा,घीसा पिता नारायण कुमावत के आराजी नं0 462 रकबा 19 बिस्वा जमीन ग्राम बड़ला में खरीद की। जिसका इन्तकाल संख्या 846 से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम दर्ज किया गया। इसी तरह श्री नन्दा पिता किशना कुमावत से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने नाम से आराजी नं0 808/326/3 रकबा 6 बीघा व आराजी नम्बर 623 रकबा 10 बिस्वा कुल कीता 2 कुल रकबा 6–10 बीघा में से 1/2 हिस्सा सन् 1986 में खरीद की। इन्तकाल नं0 841 से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम पर आराजी दर्ज की गई। इसी तरह मिश्रीलाल पिता रामपाल महाजन से आ0नं0 771 रकबा 1.80 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने नाम से खरीद की। इन्तकाल संख्या 97 से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम दर्ज की गई। तीनों बिकाव पत्र से खरीदी गई आराजीयात अपीला़न्ट के गोदी पिता रामलाल उर्फ रंगलाल व श्री प्रहलाद की पत्नि के द्वारा की गई आय से है। इस कारण अपीलान्ट को यह अपील पेश करने की आवश्यकता हुई है। नामान्तरकरण की नकलें साथ में पेश है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम से खरीदी गई आराजीयात के बारे में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व श्री रामलाल उर्फ रंगलाल के बीच विाद हुआ उस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने श्री रामलाल उर्फ रंगलाल के पक्ष में दिनांक 18.10.2009 को गवाहों के सामने एक इकरारनामा लिखवाकर अपनी निशानी कर दी। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने खरीदी गई आराजीयात, ट्रेक्टर जेटर एचएमटी मय चार उपकरण व खारी नदी में लगाई गई पाईप लाईन जो संयुक्त रूप से बनाई है इन सभी में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के साथ श्री रामलाल उर्फ रंगलाल का भी आधा हक रहेगा। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को नामान्तरकरण संख्या 629 से रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 के नाम पर अधीनस्थ न्यायालय ने की है जो विधि विरूद्ध होने से नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा विवादित आराजीयात का किया गया बिकाव श्री रामलाल उर्फ रंगलाल के जीवनकाल में जानबूझकर नहीं किया क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा इकरारनामा लिखा गया था। उनकी मृत्यु के बाद जानबूझकर अपीलान्ट को उसके हक व अधिकारों से वंचित रखने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपनी पुत्रवधु व अपने पुत्र के पक्ष में बिकावनामा किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

आराजीयात वैसे भी उनके सौ वर्ष पूरे होने पर उनके पुत्रों को ही कानूनन मिलती है। बिकाव पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 के पक्ष में कराना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की नियत को दर्शाता है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे व विकल्प में निवेदन है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का आदेश देते हुए उक्त नामान्तरकरण को अधीनस्थ न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु भिजवाया जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 28.01.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया तथा अपीलाधीन आदेश सम्बन्धी रिकॉर्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट के द्वारा अपील के साथ ग्राम बड़ला की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 57 खाता संख्या 184 श्री मिश्रीलाल पिता रामपाल महाजन, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 41 खाता संख्या 105 श्री हीरा, घीसा पिता नारायण कुमावत, नामान्तरकरण संख्या 846 ग्राम बड़ला, नामान्तरकरण संख्या 97 ग्राम बड़ला, नामान्तरकरण संख्या 841 ग्राम बड़ला, नामान्तरकरण संख्या 629 ग्राम बड़ला, ग्राम बड़ला की नकल जमाबन्दी खाता संख्या 290 सम्वत् 2070 से 2073 श्री रामजस पिता हजारी लादू पिता पन्ना कुमावत, ग्राम बड़ला की नकल जमाबन्दी खाता संख्या 290 सम्वत् 2070 से 2073 कंचन पत्नि पप्पूलाल, रमेश पिता रामजस कुमावत 1/2 लादू पिता पन्ना कुमावत, ग्राम बड़ला की नकल जमाबन्दी खाता संख्या 289 सम्वत् 2070 से 2073 श्री रामजस पिता हजारी 1/2 भूरा पिता माधू दादा चतरा 1/2 कुमावत, ग्राम बड़ला की नकल जमाबन्दी खाता संख्या 289 सम्वत् 2070 से 2073 कंचन पत्नि पप्पूलाल, रमेश पिता रामजस कुमावत 1/2 भूरा पिता माधू दादा चतरा 1/2 कुमावत, ग्राम बड़ला की नकल जमाबन्दी खाता संख्या 288 सम्वत् 2070 से 2073 श्री रामजस पिता हजारी कुमावत, ग्राम बड़ला की नकल जमाबन्दी खाता संख्या 288 सम्वत् 2070 से 2073 कंचन पत्नि पप्पूलाल, रमेश पिता रामजस कुमावत , रामजस पिता हजारी कुमावत की ओर से रामलाल उर्फ रंगलाल पिता हजारी कुमावत के पक्ष में लिखे इकरारनामा दिनांक 18.10.2009 की नोटेरी से प्रमाणित प्रति पेश की।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश सम्बन्धी रिकॉर्ड इन्तकाल संख्या 629 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने पर अपील मेमों के साथ लिया जाकर अपील मेमों में रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की ओर से दिनांक 22.06.2016 को लिखित बहस प्रस्तुत की तत्पश्चात दिनांक 16.03.2017 को दोनों पक्षो की बहस सुनी गयी ।

बहस में वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सजरे के अनुसार मृतक रामलाल उर्फ रंगलाल का हिस्सा गोदपुत्र रतन के हिस्से में दर्ज होना चाहिए। गोद के सम्बन्ध में रजिस्टर्ड गोदनामा एवं इकरारनामा प्रस्तुत किया जिस पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। प्रश्नगत आराजीयात का नामान्तरकरण अकेले रामजस के नाम स्वीकृत किया गया जिसके कारण से रामजस ने भूमियों को बिकाव से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम करवा दी। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी नामान्तरकरण संख्या 629 आदेश दिनांक 11.01.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

बहस में वकील रेस्पोडेन्ट के द्वारा लिखित में प्रस्तुत बहस के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वकील अपीलान्ट के द्वारा सजरा गलत प्रस्तुत किया है। राजकीय दस्तावेजों में रतनलाल पिता प्रहलाद है, गोदपुत्र के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। प्रश्नगत भूमि स्वअर्जित है। संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होने पर अपीलान्ट के पिता रामजस के द्वारा विक्रय किया है तो वह शून्य नहीं होकर शून्यकरणीय है जिसके लिए अपीलान्ट को सिविल न्यायालय से ही दाद हासिल करना होगा। रतनलाल रामलाल का गोदपुत्र नहीं है। गोदपुत्र होना साबित नहीं है। इकरारनामे के आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने अपने अपील मेमों में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है, उससे स्थिति स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व श्री प्रहलाद तीनों अपने जीवनकाल में संयुक्त परिवार के रूप में साथ साथ रहे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 सबसे बड़ा होने के कारण संयुक्त परिवार की आराजीयात व अन्य तरीकों से होने वाली आय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पास रहती थी जिससे अपील में अंकित आराजीयात को क्रय कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने नाम जरिये इन्तकाल दर्ज करा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 के नाम एक बनावटी व फर्जी बिकावनामे से इनके नाम दर्ज करवाई जो किसी भी तरह सिद्ध नहीं होती है। अपीलान्ट के द्वारा स्वयं के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दियों व नामान्तरकरण में स्पष्ट अंकित है कि आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा क्रय की जो उसके नाम पर खातेदारी से दर्ज हुई । उसके पश्चात अपने हक व हिस्से की आराजीयात को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में जरिये बिकाव हस्तान्तरित किये जाने से उनके नाम पर खातेदारी से दर्ज हुई है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 के पक्ष में भूमियों का बिकाव किए जाने से तहसीलदार फूलियाकलां द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 629 विधिसम्मत है। अपीलान्ट ने अपने गोद होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज यथा गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलान्ट मृतक रामलाल उर्फ रंगलाल कुमावत का गोदपुत्र किसी भी तरह सिद्ध नहीं होता है। यदि अपीलान्ट मृतक रामलाल उर्फ रंगलाल कुमावत का गोदपुत्र बनना चाहता है तो इसके लिए उसे सिविल न्यायालय से ही दाद प्राप्त करनी होगी। अपीलान्ट ने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

अपील के तथ्यों को सिद्ध कराने के लिए कोई ठोस दस्तावेज यथा व्यवसाय या आमदनी का ब्यौरापत्र या किसी बही या कोई पत्रक प्रस्तुत नहीं किए हैं। जिससे प्रश्नगत आराजीयात का संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा क्रय किया जाना साबित हो तथा रामलाल उर्फ रंगलाल, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व श्री प्रहलाद संयुक्त निवास करते हुए संयुक्त आय से क्रय किया जाना प्रमाणित हो। अपीलान्ट प्रश्नगत आराजीयात में अपना 1/2 हिस्सा चाहता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में किए गए बिकाव को निरस्त कराने के लिए उक्त अपील प्रस्तुत की है। उक्त अपील के माध्यम से अपीलान्ट किसी भी तरह की दाद प्राप्त नहीं कर सकता है । अतएव–

आदेश

अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार, फूलियाकलां बमामले नामान्तरकरण संख्या 629 निर्णय दिनांक 11.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार फूलियाकलां को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/03/17

(एल0आर0गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा